83 न्यायालय श्रीमान राजस्व मंण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

III/निग0/रीवा/भू-रा0/2017/3840

रामसिरोमणि मिश्रा तनय रामलाल मिश्रा उम्र- 60 वर्ष, निवासी ग्राम भदैया थाना व तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 ====== निगरानीकर्ता

बनाम

राममणि तनय रामलियाराम निवासी ग्राम भदैया तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 ====== गैरनिगरानीकर्ता

आवेदक रामसिरोमणि मिश्रा स्वयं पेश / 12-10-17

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 आदेश दिनांक- 23-2-16 प्रकरण क्रमांक 17अ5/15-16 एवं न्यायालय अपर कलेक्टर मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रमांक 2अ/5/16-17 आदेश दिनांक- 28-6-17.

==================================

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959 ई0.

==================================

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण

(1) यहकि निगरानीकर्ता द्वारा भूमि नम्बर 11/3 रकबा 0.177 आरे स्थित ग्राम भदैया तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 का नक्शा तरमीम का आवेदन पत्र तहसीलदार तहसील मऊगंज के यहां प्रस्तुत किया था। तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी से प्रतिवेदन मगाया जिस पर अपना प्रतिवेदन दिनांक 20/6/2013 को प्रस्तुत किया। उक्त आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 23/2/16 को आदेश पारित किया गया परन्तु तर्मीम की कार्यवाही आदेशित भूमि नम्बर 11/3 के अलावा भूमि नम्बर 20/1 रकबा 0.73 ए0 निगरानीकर्ता की भूमि है। गैरनिगरानीकर्ता की भूमि नम्बर 20/2 रकबा 0.23 ए0 है उसको नक्शे में 20/2 का तर्मीम कर दिया। 20/2 का रकबा

क्रमश: 2..पर

रामसिरोमणि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ
निगरानी प्रकरण कमांक तीन–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/3840

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6/4/18	यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 2 अ–5/2016–17 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28–6–17 के कम में तहसीलदार मउगंज जिला रीवा के प्रकरण कमांक 17 अ–5/15–16 में पारित आदेश दिनांक 23–2–16 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये। उनका तर्क है कि अपर कलेक्टर रीवा व्दारा आदेश दिनांक 28–6–17 से निगरानी इस आधार पर निरस्त कर दी है कि उन्हें निगरानी श्रवण करने के अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि तहसीलदार मउगंज ने आदेश दिनांक 23–2–16 से विवादित भूमि का गलत नक्शा तरमीम किया है एंव एकपक्षीय कार्यवाही की है। नक्शा तरमीम तभी किया जाता है जबकि सभी पक्षकार उपस्थित रहें एंव उनके समक्ष भूमि को सीमांकित एंव चिन्हित कर सुनवाई का अवसर देते हुये नक्शा तरमीम किया जावे, परन्तु तहसीलदार व्दारा एकपक्षीय कार्यवाही कर नक्शा तरमीम किया है इसलिये तहसीलदार का आदेश ~~गलत~~ होने से निरस्त किया जावे। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार मउगंज जिला रीवा के प्रकरण कमांक 17 अ–5/15–16 में पारित आदेश दिनांक 23–2–16 के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार का आदेश मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 70	

के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों **के अंतर्गत** पारित किया है और संहिता की धारा 70 के अंतर्गत तहसीलदार व्दारा पारित अंतिम आदेश अपील योग्य होता है जिसकी प्रथम अपील उपखंड अधिकारी के समक्ष की जाती है, जबकि आवेदक ने सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की है। **म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये।** आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करास सके हैं कि विचाराधीन निगरानी में ऐसे कौनसे विधिक बिन्दु निहित है जिसके कारण निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में श्रवण की जावे। फलस्वरूप तहसीलदार व्दारा के नक्शा तरमीम आदेश के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनना उचित नहीं है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त कारणों से निगरानी सुनवाई–योग्य न होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य